निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 83/2024
दायरा दिनांकः—10.07.2024
निर्णय दिनांकः— 29.9.25

उनवान

1. रामचरण आयु 70 वर्ष पुत्र चिंरोजीलाल जाति ढीमर निवासी ग्राम खुरई तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

.......वादनी

बनाम

1. किशनलाल आयु 60 वर्ष पुत्र चिरोजीलाल जाति ढीमर निवासी ग्राम खुरई तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

.............प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र आदेश 7 निमय 11 एवं धारा 151 सी0पी0सी

निर्णय दिनांकः— 29.09.2025

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री भंवरसिंह जादौन — वादी
2. श्री मोहित शर्मा — प्रतिवादी

अभिभाषक प्रार्थी(प्रतिवादी) द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 निमय 11 एवं धारा 151 सी0पी0सी इस आशय का पेश किया गया कि वादी द्वारा माननीय न्यायालय में वाद पेश करने में तथ्यों को छुपाया गया है जिस आराजी के लिये वाद पेश किया गया है वह आराजी वादी द्वारा बेचान कर कब्जा अन्य व्यक्ति को समझा दिया गया है और वर्तमान में भी बही व्यक्ति काश्त कर रहा है वर्तमान में वादी का कोई हिस्सा मौके पर शेष नहीं होने से वाद खारिज किये जाने योग्य है। दिनांक 26.06.2024 को वादी द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्से 1/5 की भूमि खाता संख्या 152 खसरा नंबर 436/646 रकबा 0.5059 है० खसरा न० 455 रकबा 0.3794 है० कुल किता 02 कुल रकबा 0.8853 हैक्टेयर का बेचान रामबाबू पुत्र सुरेश जाति अहीर निवासी खुरई के पक्ष में कर दिया गया है जिसका नामांतरण संख्या 798 दिनांक 13.09.2024 को क्रेता के पक्ष में खोला जा चुका है वाद चलने योग्य नहीं है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2076—2079 की में भी क्रेता का नाम दर्ज हो चुका है बादी का कोई हिस्सा मौके पर शेष नहीं है इन सभी कार्यवाहीयों की जानकारी वादी को भली प्रकार से होने के बावजूद भी झूठे तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुये पुरानी नकल जमाबन्दी के आधार पर वाद पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण माननीय न्यायालय में चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाये जाने की कृपा करे।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थना पत्र का जवाब अभिभाषक अप्रार्थी (वादी) द्वारा किया कि प्रार्थी द्वारा वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या 152 में से कभी कोई भूमि कोई बेचान नही की बल्कि प्रार्थी के गांव के ही रामबाबू पुत्र सुरेश जाति अहीर निवासी खुरई द्वारा प्रार्थी को पेंशन दिलाने का झूठा आश्वासन देकर उपपजीयक कार्यालय में ले जाकर बिना प्रतिफल राशि का भुगतान किये भूमि खसरा नं. 436/646 की रकबा 0.5059 हैक्टेयर व भूमि खसरा नं. 455 की रकबा 0.3794 हैक्टेयर वाके माल खुरई तहसील छबड़ा का विक्रय पत्र अपने नाम तस्दीक करवा लिया जिसकी फौजदारी कार्यवाही भी अप्रार्थी रामबाबू पुत्र सुरेश के नाम कर रखी है। प्रार्थी की वर्तमान में भूमि खाता संख्या 152 की भूमि खसरा 446 की रकबा 0.2023 हैक्टेयर व भूमि खसरा संख्या 444 की रकबा 0.0126 हैक्टेयर भूमि वाके माल खुरई तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) में स्थित है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/5 का है। अप्रार्थी रामबाबू पुत्र सुरेश द्वारा खसरा नं. 436/646 की रकबा 0.5059 हैक्टेयर व भूमि खसरा नं. 455 की रकबा 0.3794 हैक्टेयर वाके माल खुरई तहसील छबडा जिला बारां (राज०) का इंतकाल भी अप्रार्थी रामबाबू पुत्र सुरेश द्वारा वादी द्वारा माननीय न्यायालय में वाद पेश करने के बाद खुलवाया है इसके लिये वादी अपने दावे में संशोधन करवा लेगा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी किशन लाल द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीजी फरमाया जावे।

बहस प्रार्थना पत्र अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम खुरई सम्वत् 2076—79 खाता संख्या 152 में वादी एवं प्रतिवादी के शामलाती खातेदारी में नाम दर्ज है प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी0पी0सी के साथ प्रस्तुत रजिस्टर विक्रय पत्र दिनांक 26.06.2024 के अनुसार रामचरण वादी द्वारा खसरा नम्बर 436/646 एवं 455 की कुल भूमि 0.8853 है0 में से अपना हिस्सा 1/5 रामबाबू सुरेश जाति अहीर को बेचान किया गया। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण संख्या 798 दिनांक 12.09.2024 तस्दीक किया गया है। वर्तमान में खसरा नम्बर 436/646 एवं खसरा नम्बर 455 प्रतिवादी किशनलाल के हिस्सा 4/5 एवं रामबाबू पुत्र सुरेश हिस्सा 1/5 दर्ज है तथा खसरा नम्बर 443 एवं खसरा नम्बर 444 रकबा 0.2149 है0 में किशनलाल का हिस्सा 4/5 रामचरण का हिस्सा 1/5 दर्ज है वादी द्वारा खसरा नम्बर 436/646 एवं खसरा नम्बर 455 की भूमि में अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/5 का बैचान किया जा चुका है जबकि वादी द्वारा खसरा नम्बर 436/646, 455, 443, 444 में बटवारा कराने का वाद पत्र पेश किया है। जबकि वादी द्वारा खसरा नम्बर 436/646 एवं खसरा नम्बर 455 की भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा वादी द्वारा बेचान किया जा चुका है वादी द्वारा क्रेता को प्रस्तुत वाद पत्र में पक्षकार नही बनाया गया है। तथा बेचान की गई भूमि में वादी बटवारा कराना चाहता है। चूंकि वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित भूमि का वाद पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही बेचान किया जा चुका था तथाा वादी को इस तथ्य की ज़ानकारी होने के बावजूद सम्पूर्ण खसरों में विभाजन चाहा गया है जो विधि द्वारा वर्णित है तथा CPC के आदेश 7 नियम 11 (घ) के अन्तर्गत आता है। अतः प्रस्तुत वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के तहत खारिज किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: **क्रियात्मक आदेश** ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी (प्रतिवादी) का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी0पी0सी स्वीकार किया जाता है। तथा वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)